न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **147/2024** GCMS 2024/326

प्रार्थी :–

1. पटवारी हल्का कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार महोदय तहसील कुचामन सिटी
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड(रीको)

प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 एवं एलआर नियम 1957 के नियम 58 से 62

उपस्थित :– प्रार्थी पटवारी हल्का कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 02/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2456 में से 31.00 हैक्टयर भूमि संलग्न आंवटन आदेश क्रमांक 1310 दिनांक 14.10.2024 रीको को आंवटित की गई है। उक्त आंवटन आदेश की पालना में जरिए नामान्तरकरण संख्या 5999 द्वारा उक्त भूमि रीको को हस्तांतरित की गई। उक्त खसरा नम्बर 2456 से रीको को आवंटित 31.00 हैक्टयर भूमि के नवीन खसरा नम्बर 4030/2456 बना तथा शेष राजकीय भूमि के 2 अन्य खसरा नम्बर 4031/2456 व 4032/2456 बने। खसरा नम्बर 4030/2456 रकबा 31.00 हैक्टयर रीको को आंवटित भूमि की सीमा ग्राम सरगोठ की खातेदारी सीमा से ओवरलेप हो रही है। जिसका ओवरलेप नक्शा संलग्न है। संलग्न ओवरलेप नक्शा के आंवटित क्षेत्र को छोड़ते हुए संलग्न नजरी नक्शे अनुसार उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 4030/2456 को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 4032/2456 की पुनः मूल खसरा नम्बर 2456 में शामिल कर संलग्न आंवटन आदेश के अनुसार ओवरलेप क्षेत्र को छोड़कर मौके अनुसार नवीन तरमीम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:59 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार कर कस्बा कुचामन सिटी के नामान्तरकरण 5999 से निर्मित नवीन खसरे 4030/2456, 4031/2456 व 4032/2456 की पुनः मूल खसरा नम्बर 2456 में मर्ज कर पुनः संलग्न आंवटन आदेश के अनुसार ओवरलेप क्षेत्र को छोड़कर मौके अनुसार नवीन तरमीम किया जाना उचित बताया गया।

प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। कस्बा कुचामन सिटी के नामान्तरकरण 5999 से निर्मित नवीन खसरे 4030/2456, 4031/2456 व 4032/2456 की पुनः मूल खसरा नम्बर 2456 में मर्ज कर पुनः संलग्न आंवटन आदेश के अनुसार ओवरलेप क्षेत्र को छोड़कर मौके अनुसार नवीन तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

कस्बा कुचामन सिटी के नामान्तरकरण 5999 से निर्मित नवीन खसरे 4030/2456, 4031/2456 व 4032/2456 की पुनः मूल खसरा नम्बर 2456 में मर्ज कर पुनः संलग्न आंवटन आदेश के अनुसार ओवरलेप क्षेत्र को छोड़कर मौके अनुसार नवीन तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/313 दिनॉकः– 02/12/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 147/2024 **GCMS 2024/326** पटवारी हल्का कुचामन सिटी बनाम तहसीलदार कुचामन सिटी वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 147/2024 **GCMS 2024/326** पटवारी हल्का कुचामन सिटी बनाम तहसीलदार कुचामन सिटी वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। आदेश की पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:59 IST
Reason: SelfAttested